

संख्या-332/एक-10-2023-33(12)/2021

प्रेषक,

प्रभु एन. सिंह,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद, हापुड, प्रतापगढ़, लखनऊ, चंदौली, गौतमबुद्ध नगर, बांदा, वाराणसी, अमरोहा, रामपुर, कौशाम्बी एवं मथुरा।।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ दिनांक- 21/03/2023

विषय:- कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of Kin of the deceased) को ₹० 50,000/- प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनपदों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अहेतुक सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में राहत की वेबसाइट पर फीड/अपलोड किये गये प्रकरणों में बजट के अभाव में लम्बित दर्शित प्रकरणों के भुगतान के लिए निम्न तालिका के कॉलम-4 के अनुसार ₹० 1,53,00,000/- (₹० एक करोड़ तिरपन लाख मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्न विवरण एवं शर्तों के अधीन निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित जनपदों के सम्मुख अंकित धनराशि जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

| क्रमांक | जनपद का नाम   | बजट अभाव में भुगतान हेतु लम्बित प्रकरण | स्वीकृत धनराशि (₹० में) |
|---------|---------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 1       | 2             | 3                                      | 4                       |
| 1       | गाजियाबाद     | 65                                     | 32,50,000               |
| 2       | हापुड         | 40                                     | 20,00,000               |
| 3       | प्रतापगढ़     | 38                                     | 19,00,000               |
| 4       | लखनऊ          | 34                                     | 17,00,000               |
| 5       | चंदौली        | 26                                     | 13,00,000               |
| 6       | गौतमबुद्ध नगर | 24                                     | 12,00,000               |
| 7       | बांदा         | 21                                     | 10,50,000               |
| 8       | वाराणसी       | 18                                     | 9,00,000                |
| 9       | अमरोहा        | 17                                     | 8,50,000                |
| 10      | रामपुर        | 11                                     | 5,50,000                |
| 11      | कौशाम्बी      | 7                                      | 3,50,000                |

|    |       |     |               |
|----|-------|-----|---------------|
| 12 | मथुरा | 6   | 3,00,000      |
|    | योग   | 307 | 1,53,00,000/- |

### नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद या विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2023 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2023 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।
- (5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (6) माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

2- इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय 1,53,00,000/- (रु० एक करोड़ तिरपन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000611 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by प्रभु नारायण सिंह

Date: 21-03-2023 17:27:52

(प्रभु एन. सिंह)

सचिव।

संख्या-332(1)/एक-10-2023-33(12)/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ० प्र०, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ० प्र० शासन ।
- 3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन।
- 4- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र०, लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ० प्र०।
- 8- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), उ० प्र० शासन।
- 9- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ० प्र०।
- 10- वित्त नियंत्रक, उ० प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)  
विशेष सचिव।

संशोधित

संख्या-332(2)/एक-10-2023-33(12)/2021

प्रेषक,

हरि प्रसाद सिंह,  
अनु सचिव,  
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ दिनांक-२५ मार्च, 2023

**विषय:-** कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of Kin of the deceased) को रू० 50,000/- प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-332/एक-10-2023-33(12)/2021, दिनांक-21.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of Kin of the deceased) को रू० 50,000/- प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने हेतु जनपद-गाजियाबाद को बजट के अभाव में भुगतान हेतु लम्बित 65 प्रकरणों के लिए रू० 32,50,000/- की धनराशि के आवंटन का उल्लेख है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में उल्लिखित तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपद-गाजियाबाद के सम्मुख कॉलम-3 में बजट के अभाव में भुगतान हेतु लम्बित 65 प्रकरणों एवं रू० 32,50,000/- की धनराशि के स्थान पर 64 प्रकरण एवं रू० 32,00,000/- की धनराशि पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश दिनांक-21.03.2023 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(हरि प्रसाद सिंह)  
अनु सचिव।

संख्या-332(3)/एक-10-2023-33(12)/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन ।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023  
आवंटन दिनांक-27/03/2023

प्रेषण संख्या:-  
आवंटन आदेश संख्या:-  
अनुदान संख्या:-  
लेखाशीर्षक:-

332  
001-332  
51 राजस्व विभाग (द्वी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)  
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 -  
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय  
(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                       |                    | 42-अन्य व्यय        | योग                 |
|-------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1     | मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--            | वर्तमान<br>प्रणामी | 300000<br>5607769   | 3000000<br>5607769  |
| 2     | रामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--           | वर्तमान<br>प्रणामी | 550000<br>1629786   | 550000<br>1629786   |
| 3     | बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--           | वर्तमान<br>प्रणामी | 1050000<br>3050460  | 1050000<br>3050460  |
| 4     | वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--          | वर्तमान<br>प्रणामी | 900000<br>13991230  | 900000<br>13991230  |
| 5     | लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रणामी | 1700000<br>17347865 | 1700000<br>17347865 |
| 6     | प्रतापगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--        | वर्तमान<br>प्रणामी | 1900000<br>4736188  | 1900000<br>4736188  |
| 7     | गाजियाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--        | वर्तमान<br>प्रणामी | 3200000<br>62574856 | 3200000<br>62574856 |
| 8     | गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--    | वर्तमान<br>प्रणामी | 1200000<br>7798428  | 1200000<br>7798428  |
| 9     | चन्दौली-4217-जिलाधिकारी , --01--          | वर्तमान<br>प्रणामी | 1300000<br>3252623  | 1300000<br>3252623  |
| 10    | कौशांबी-4217-जिलाधिकारी , --01--          | वर्तमान<br>प्रणामी | 350000<br>3007641   | 350000<br>3007641   |
| 11    | अमरोहा-4217-जिलाधिकारी , --01--           | वर्तमान<br>प्रणामी | 850000<br>2074016   | 850000<br>2074016   |
| 12    | हापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--            | वर्तमान<br>प्रणामी | 2000000<br>3583505  | 2000000<br>3583505  |

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम |                    | 42-अन्य व्यय          | योग                   |
|-------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|       | योग                 | वर्तमान<br>प्रणामी | 15300000<br>128654367 | 15300000<br>128654367 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-  
महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया एक करोड़ तिरपन लाख  
रूपया बारह करोड़ छियासी लाख चौवन हजार तीन सौ सरसठ

(अखिलेश प्रताप सिंह)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी



Digitally signed by akhilesh pratap singh  
Reason: Allotment Completed  
Location: Uttar Pradesh  
Date: 2023.03.27 12:01:08 +05:30